छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

जिला-रायपुर

——00——

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 16 दिसंबर, 2020

क्रमांक एफ 20–47/2013/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.03.2015 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम – 2015"** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय–1 की कंडिका 1.2 की उप कंडिका क्रमांक 1.2.7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

कंडिका क्र 1.2.7 – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम –

से अभिप्रेत है, "राज्य सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर जारी औद्योगिक नीति के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम जिनके संबंध में राज्य के द्वारा उद्यम आकांक्षा अथवा समतुल्य कोई अभिस्वीकृति/प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय–1 की कंडिका 1.2 की उप कंडिका क्रमांक 1.2.8 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

कंडिका क्र 1.2.8 – वृहद उद्योग एवं वृहद सेवा उद्यम –

से अभिप्रेत है, "राज्य सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय–समय पर जारी औद्योगिक नीति के अंतर्गत परिभाषित वृहद उद्योग एवं वृहद सेवा उद्यम जिन्हें राज्य के द्वारा जारी प्रावधानित अनुसार कोई अभिस्वीकृति/प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(तीन) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका 3.4 की उप कंडिका क्रमांक 3.4.2.4 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

कंडिका क्र 3.4.2.4 –

जिन प्रकरणों मे आबंटित भूखण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो अर्थात कार्यरत अथवा उत्पादन में आने के पश्चात् बंद हुए उद्योग/उद्यम, जिनमें आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार भूमि उपयोग की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो, तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा–ई.एम. पार्ट–2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और बंद उद्योग/उद्यम के प्रकरण में ***निरस्तीकरण आदेश जारी नहीं हुआ हो*** *उनमें तत्समय प्रचलित भू–प्रब्याजि की 5 (पांच) प्रतिशत राशि देय होगी।*

परंतु, जिन प्रकरणों मे आबंटित भूखण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो अर्थात कार्यरत अथवा उत्पादन में आने के पश्चात् बंद हुए उद्योग/उद्यम, जिनमें आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार भूमि उपयोग की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो, तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा–ई.एम. पार्ट–2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और बंद उद्योग/उद्यम के प्रकरण में ***निरस्तीकरण आदेश जारी हो चुका हो*** *उनमें 07 मार्च, 2015 के पूर्व भूमि आबंटन के मामले में हस्तांतरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 40 प्रतिशत तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात भूमि आबंटन के मामले में हस्तांतरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 20 प्रतिशत राशि उनमें हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगी। उपरोक्त प्रावधान कंडिका 3.4.2.10 एवं 3.4.2.11 से संबंधित प्रकरणों के संबंध में भी उपरोक्तवत लागू होंगे।*

(चार) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका 3.4 की उप कंडिका क्रमांक 3.4.2.6 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

कंडिका क्र 3.4.2.6 –

उपरोक्त 3.4.2.1 से 3.4.2.4 तक के प्रकरणों के मामले में हस्तांतरण के अनुमोदन उपरांत भू–आधिपत्य प्राप्तकर्ता द्वारा आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्ष तक भूमि का पुनः हस्तांतरण अथवा इकाई के गठन का परिवर्तन, इन नियमों में अन्यथा स्वीकार्य होने की स्थिति को छोडकर, परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

इस प्रावधान के उल्लंधन होने पर प्रकरण में नियमितिकरण हेतु राशि 07 मार्च, 2015 के पूर्व मूलतः भूमि आबंटन के मामले में उल्लंघन नियमितिकरण के दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 40 प्रतिशत तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात मूलतः भूमि आबंटन के मामले में उल्लंघन नियमितिकरण के दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 20 प्रतिशत राशि, के रूप में प्रचलित प्रब्याजी के समतुल्य हस्तांतरण शुल्क एवं शास्ति शुल्क नियमितिकरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी के 10 (दस) प्रतिशत के बराबर, अतिरिक्त रूप से ली जायेगी।

शास्ति सहित पूर्ण राशि का भुगतान न करने पर उद्योग के पक्ष में जारी आबंटन आदेश तथा लीजडीड नियमानुसार निरस्त की जायेगी।

(पांच) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका 3.4 की उप कंडिका क्रमांक 3.4.2.7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

कंडिका क्र 3.4.2.7 –

निरस्त भूखण्ड, शेड–भवन/प्रकोष्ठ का हस्तांतरण इन नियमों में अन्यत्र वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।

(छः) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका 3.8 की उप कंडिका क्रमांक 3.8.4 – **विलोपित।**

(सात) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका 3.8 की उप कंडिका क्रमांक 3.8.5 – **विलोपित।**

(आठ) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका 3.8 की उप कंडिका क्रमांक 3.8.6 – **विलोपित।**

(नौ) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका 3.10 की उप कंडिका क्रमांक 3.10.1 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

कंडिका क्र 3.10.– इकाई कार्यरत किंतु निरस्त पट्टाभिलेख अंतर्गत भूमि, भवन/शेड का पुनर्स्थापन

*(3.10.1) कार्यरत इकाई किंतु निरस्त पटट्ाविलेख के मामले – इकाई के द्वारा देय राशियों का भुगतान न करने के कारण निरस्त भूमि, भवन/शेड के पट्टा प्रकरण में अंतिम निराकरण के पूर्व नियमों में उल्लेखित/पट्टे की शर्तों में वर्णित प्रावधान अनुसार पट्टाग्रहिता द्वारा देयताओं का एकमुश्त भुगतान करने के साथ ही पुनर्स्थापना दिनांक पर प्रचलित प्रब्याजि की **05 (पांच)** प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में लेकर भूमि, भवन/शेड के पट्टे को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। यह पुनर्स्थापन अवधि आबंटन प्राधिकारी द्वारा जारी निरस्तीकरण अभ्यावेदन निराकरण आदेश में वर्णित अवधि समाप्त होने के पूर्व की होगी। इस अवधि के भीतर भुगतान सहित आवेदन प्राप्त होने पर निरस्त पट्टे का पुनर्स्थापन पट्टा निरस्तीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।*

(दस) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका 3.10 की उप कंडिका क्रमांक 3.10.2 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

(3.10.2) उपरोक्त कंडिका (3.10.1) से भिन्न प्रकरणों में पट्टा निरस्तीकरण के मामलों में भूमि, भवन/शेड की पुर्नस्थापना के प्रत्येक प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर इकाई की अद्यतन स्थिति, रोजगार, पूंजी निवेश, उल्लंघित प्रावधानों की पूर्ति एवं उद्योग स्थापनार्थ नये प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुये की जा सकेगी।

ऐसा करते समय आबंटन प्राधिकारी द्वारा प्रचलित प्रब्याजि 07 मार्च, 2015 के पूर्व के मूलतः भूमि आबंटन के मामले में पुर्नस्थापना दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 45 प्रतिशत, तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात मूलतः भूमि आबंटन के मामले में पुर्नस्थापना दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 25 प्रतिशत राशि पुर्नस्थापना शुल्क एवं अन्य देय राशि के बराबर का एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर भूमि आबंटन पुर्नस्थापन की अनुमति दी जा सकेगी। उक्त अनुमोदन की दिनांक से आगामी 05 (पांच) वर्ष तक भूमि का हस्तांतरण अथवा स्थापित उद्योग इकाई के संगठन का स्वरूप इन नियमों में अन्यथा स्वीकार्य होने की स्थिति को छोड़कर, परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(ग्यारह) यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

ह/-

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–47/2013/11/(6) **नवा रायपुर दिनांक 16 दिसंबर, 2020**

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विभाग .... मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, भूतल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर
4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .... (छत्तीसगढ़)
5. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग